न्यायालय श्रीमान् समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

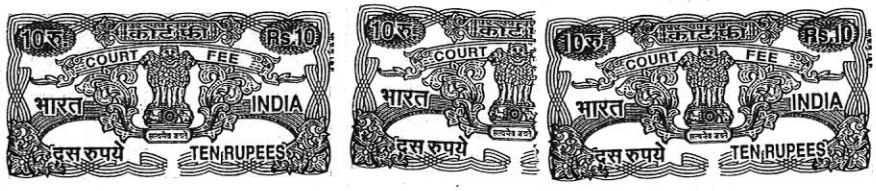

श्री रघुवेश प्रताप ... द्वारा पेश 30-10-15

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R 5135-पी/15

1— छोटेलाल सिंह तनय तीरथ सिंह
2— जगदीश प्रसाद गुप्ता तनय स्व0 रामगोपाल गुप्ता
3— कमलभान सिंह तनय रामावतार सिंह
4— श्यामसुन्दर दाहिया तनय जगद्देव दाहिया
5— रामबहोर विश्वकर्मा तनय भगवानदीन विश्वकर्मा
सभी निवासी ग्राम/पोस्ट झलवार, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0 ——————————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— रामप्रकाश सिंह तनय श्रीनिवास सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट झलवार, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0
2— शासन म0प्र0 ————————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0 का सीमांकन रा.प्र.क0—12 अ 12/2014—15 आदेश दिनांक 09.06.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्न हैं :—

1— यहकि तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया, जिला रींवा का सीमांकन रा.प्र.क0—12 अ 12/2014—15 आदेश दिनांक 09.06.2015 विधि प्रकिया नियमों व तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2— यहकि गैरनिगरानीकर्ता क0—01 के कथित सीमांकित भूमियों से निगरानीकर्तागण के स्वत्व, आधिपत्य की भूमि नं0—375, 381/1, 382/2, 391, 392, 396/1 स्थित ग्राम झलवार, की भूमियॉ कथित सीमांकन की गई भूमियों से लगी हुई है, जिन भूमियों के अंश भाग

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5135-दो/15 जिला रीवा

छोटेलाल वगैरह / राम प्रकाश वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	प्रकरण में निगराकारगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। तर्क में कहा गया कि सीमांकन के सूचनापत्र में दि. 7.6.15 पर ओवरलेखन कर 9.6.15 बनाया गया, तथा निगराकारगण की सूचना और उनकी उपस्थिति के बगैर गैरनिगराकार क्र-1 की भूमियों पर निगराकारगण का अवैध कब्जा बता दिया गया, जो कि अनुचित है। तर्क के प्रकाश में और निगरानीमेमो के बिन्दुओं के सन्दर्भ में उपलब्ध अभिलेख से निम्न बिन्दु प्रकट होते हैं:— (क) सूचना पत्र दि. 20-5-15 में सीमांकन हेतु लिखी गई दिनांक में अंक 7 को परिवर्तित करके अंक 9 बनाया गया है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सूचना पत्र में पांचों निगराकारों के नाम तो लिखे हैं, लेकिन छोटे और कमलमान के हस्ताक्षर नहीं हैं, और न ही यह लिखा है कि उन्होंने नोटिस लेने से इन्कार किया। (ख) पंचनामा दि-9-6-15 पूर्व से छपा (pre-printed) है, मौके पर हाथ से नहीं लिखा है। उस पर रामबहोर	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	R. 57 35—II/15 शिवा।	

के अतिरिक्त किसी निगरानीकार के हस्ताक्षर नहीं है।

(ग) फील्डबुक सह नजरी नक्शे पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, किन्तु उसमें छोटे, जगदीश एवं श्यामसुन्दर द्वारा अवैध कब्जा किया जाने का लेख है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निगरानीकारगण को सूचना दी जानी है, यह RI/पटवारी को ज्ञात था, किन्तु उन्हें बगैर सूचना सभी को सही से दिए और बगैर मौके पर उनकी उपस्थिति के, सूचनापत्र में मूलतः लिखी दिनांक को (मौका कार्यवाही की दिनांक को) बदलकर, निगरानीकारों द्वारा अवैध कब्जा किया जाना बताया गया है। पंचनामा भी pre-printed है और मौके पर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि नजरी नक्शा मौके पर बना है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु उस पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं।

इस प्रकार, मैं यह पाता हूं कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निगरानीकारों को सही सूचना एवं पक्ष समर्थन का मौका दिये बगैर उनके विरुद्ध निर्णय आक्षेपित आदेश के माध्यम से पारित कर दिया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः उसे मैं निरस्त करता हूं। साथ ही, तहसीलदार को सभी सम्बद्ध कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना एवं

XXXIX(a)-BR(H)-11

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 5735-दो/15 .... जिला ...रीवा...........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम दो माह के भीतर नए सिरे से प्रकरण में मौके की कार्यवाही करते हुए बोलते स्वरूप का नया आदेश पारित करने के निर्देश देता हूँ। आदेश पारित। पक्षकारगण एवं तहसीलदार, सेमरिया जिला, रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	

[कृ. प. उ.